


आदेश

दिनांक 29.01.2016 को आयोजित कुलपति समन्वय समिति की बैठक के निर्णयानुसार राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोहों हेतु ड्रेस कोड निर्धारित किये जाने बाबत एक कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी से प्राप्त अनुशंखाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोहों हेतु निम्न ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है :-

क.सं.	श्रेणी	ड्रेस कोड
1	कुलपति एवं कुलसचिव	(i) पुरुष - सफेद/ऑफ-व्हाइट/कीम कलर का जोधपुरी सूट, राजस्थानी साफा एवं काले जूते (ii) महिला - सफेद/ऑफ व्हाइट/कीम कलर की साड़ी मय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कलर का बार्डर व ब्लाऊज एवं काले सैन्डिल/स्लिपर
2	विश्वविद्यालय के अधिकारी/प्राधिकारी	(i) पुरुष - सफेद/ऑफ-व्हाइट/कीम कलर का जोधपुरी सूट, साफा तथा काले जूते (ii) महिला - सफेद/ऑफ व्हाइट/कीम कलर की साड़ी/सलवार-सूट मय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कलर का बार्डर व ब्लाऊज एवं काले सैन्डिल/स्लिपर
3	बिन्दु संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी यथा जन प्रतिनिधि, विभिन्न नामित व्यक्ति (Non-officials)	(i) पुरुष - सफेद/ऑफ-व्हाइट/कीम कलर का जोधपुरी सूट/कुर्ता-पायजामा/पेन्ट-शर्ट/घोती-कुर्ता, साफा एवं काले जूते (ii) महिला - सफेद साड़ी/सलवार-सूट मय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कलर का बार्डर, ब्लाऊज व चुन्नी/दुपट्टा एवं काले सैन्डिल/स्लिपर
4	डिग्री/मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी	(i) पुरुष - सफेद कलर का कुर्ता-पायजामा/पेन्ट-शर्ट/घोती-कुर्ता तथा काले जूते (ii) महिला - सफेद साड़ी/सलवार-सूट मय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कलर का बार्डर व ब्लाऊज एवं चुन्नी/दुपट्टा एवं काले सैन्डिल/स्लिपर

- सर्दियों के मौसम में गहरे मैरून रंग का जैकट उपयोग में लिया जाए।
- प्रत्येक श्रेणी के लिए स्टॉल्स एवं बैज का रंग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाए। प्रत्येक श्रेणी में एकरूपता रखी जाए।

4. प्रत्येक श्रेणी के लिए साफे का प्रकार एवं रंग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाए एवं हर श्रेणी में एकरूपता रखी जाए।
5. प्रत्येक श्रेणी के लिए साड़ी के बार्डर/ब्लाऊज/चुन्नी/दुपट्टा का रंग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावे। हर श्रेणी में एकरूपता रखी जाए।
6. विश्वविद्यालय के अधिकारियों/पदाधिकारियों तथा विद्यार्थियों के लिए पृथक-पृथक रंग निश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर श्रेणी के लिए उपयोग में लिये गए रंग में एकरूपता रखी जाए।
7. उपरोक्त विषय में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर राज्यपाल सचिवालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

आज्ञा के,

 (श्रेया गुहा)
 सचिव,
 राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक: एफ.1(46)(ए)आरबी/2015/2771

दिनांक 13 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
4. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलपति, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, पो0 भांकरोटा, जयपुर।
7. कुलपति, सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद वि0वि0, जोधपुर।
8. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि वि0वि0, बीकानेर,
11. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
12. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
13. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि0वि0, बीकानेर।
15. कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय वि0वि0, जोधपुर।
16. कुलपति, हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता वि0वि0, जयपुर
17. कुलपति, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
18. कुलपति, पं0 दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलपति, महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुलपति, राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर।
22. कुलपति, राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू।
23. कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
24. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
25. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

